मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक /F-5-6/2005/10-3/4438 भोपाल, दिनांक 24/8/2011

प्रति,

समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग
भोपाल।

विषयः— वन क्षेत्र से गुजर रहे मार्गो को पक्का/उन्नयन करने के पूर्व वन विभाग की अनुमति प्राप्त करने बाबत्।

लोक निर्माण विभाग के मैदानी अधिकारियों द्वारा यह बात ध्यान में लाई गई है कि वन क्षेत्र से गुजरने वाले मार्गों को पक्का करने अथवा उन्नयन करने के कार्यो को संपादित करने में वन विभाग की अनुमति प्राप्त न होने के कारण कठिनाई आ रही है। इस संबंध में शासन स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई, जिस पर उनके द्वारा इस संबंध में पूर्व में दिनांक 21.11.2006 को जारी परिपत्र के अनुक्रम में दिनांक 11.08.2011 को पुनः परिपत्र जारी कर उनके अधीनस्थ समस्त वन मण्डलाधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक वन विभाग की अनुमति जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2/ एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि सभी कार्यपालन यंत्री वन विभाग मध्यप्रदेश शासन के उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन कर, एवं जिले के संबंधित वन मंडलाधिकारियों से वन क्षेत्र में सडक को पक्का बनाने एवं उन्नयन करने के कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व वन विभाग द्वारा दिनांक 21.11.2006 एवं 11.08.2011 को जारी उपरोक्त परिपत्रों (छायाप्रति संलग्न) के अध्याधीन वन विभाग की अनुमति प्राप्त कर ही कार्य करें। शासन के ध्यान में यह बात आई है कि उपरोक्तानुसार वन विभाग की अनुमति के बिना प्रारंभ कर दिये गये कार्य अनावश्यक विवादग्रस्त होकर अपूर्ण स्थिति में रूक जाते हैं। परिणाम स्वरूप सड़क निर्माण के लाभ से आम जनता वंचित रह जाती है, एवं विभाग का आडिट आपत्ति को भी सामाना करना पडता है। यह स्थिति अत्यन्त अवांछनीय है। अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कार्यादेश जारी करने के पूर्व आवश्यकतानुसार वन विभाग से अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

23-8-11

(विजय सिंह वर्मा)
सचिव
म.प्र.शासन लो.नि.वि.

R.R.NO. 3469
26/8/11